जम्मू-कश्मीर के थे बचे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि 2003 के अंत तक लगभग, सेटेलाइट का अभी कहना मुश्किल है क्योंकि वह बहुत महंगी होगी, खर्चा भी ज्यादा आएगा, लोग उपयोग भी नहीं करेंगे, इसलिए सेटेलाइट को छोड़कर जो बचे हुए गांव हैं, उस हर गांव में कम से कम एक विलेज पब्लिक टेलीफोन पहुंच जाएगा।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, in our country, both in the rural and the urban areas, there are a lot of senior citizens who have income which is below the taxable income. I want to know from the hon. Minister whether his Ministry is considering any proposal to give concessions to such senior citizens.

श्री प्रमोद महाजन: सभापति महोदय, जहां तक टेलीफोन के उपयोग का सवाल है, उसका आयु से कोई संबंध जोड़ना कठिन होगा। सीनियर सिटिजंस का आदर करते हुए अगर मैं कहूं कि उनके लिए और सस्ता कर दूंगा तो वे दिन भर टेलीफोन पर ही लगे रहेंगे। इसलिए यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है।

गन्ना उत्पादकों की नि:सहाय स्थिति

*334. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीनी के कारखानों द्वारा पिराई शुरू न किए जाने, गन्ने के मूल्य की घोषणा न किए जाने और किसानों को बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने के कारण हताश किसान गन्ने के खेतों को आग लगाने के लिए मजबूर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं और किसानों को दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा गन्ना को जलाए जाने की रिपोर्ट कुछ समाचार पत्रों में छपी हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों के

संबंध में ऐसी रिपोर्ट उनके ध्यान में आई हैं और यह कि जांच करने पर पता चला है कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी हैं, हालांकि मेरठ जिले के दो गांवों में गन्ने को ''प्रतीकात्मक'' रूप से जलाने की घटनाएं घटी हैं।

2. उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति पर करीब से नजर रखने के लिए गन्ना आयुक्त के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। केन्द्रीय सरकार किसानों के लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य नियत करती है।

Helplessness of sugarcane growers

†*334. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that desperate farmers are forced to put surgarcane fields on fire due to non-commencement of crushing by the sugar mills, non-declaration of price of sugarcane and non-payment of outstanding dues to the farmers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether it is also a fact that due to improper attention, standing crops are getting destroyed and the farmers are facing miserable conditions?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Reports of burning of sugarcane by farmers in Uttar Pradesh have appeared in sections of the Press. The State Government have intimated that reports in this behalf in respect of Meerut, Muzaffarnagar and Saharanpur districts have come to their notice and that, on enquiry, it transpires that there have been no such incidents in Muzaffarnagar and Saharanpur, while cases of 'symbolic' burning of cane occurred in two villages of Meerut district.

2. The Government of Uttar Pradesh have set up a Control Room in the office of the Sugarcane Commissioner to closely monitor the situation.

†Original notice of the Question was received in Hindi.

The Central Government fixes the Statutory Minimum Price (SMP) of sugarcane every year for the benefit of the farmers.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, वैसे तो इस मुद्दे पर सदन में एक दिन बहस हो चुकी है और बहस होने के बाद हम समझते थे कि सरकार सतर्क होगी लेकिन कल ही बस्ती जिले के मुंडेरवा में कारखाने के गेट पर धरना देते हुए किसानों पर पुलिस की गोली चली और उसमें 2 किसान मर गए। यह खबर आज अखबार में छपी है। हमने अपने प्रश्न में जो पूछा है, उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

सभापति महोदय, हमने पूछा है कि क्या यह सच है कि कारखानों द्वारा पिराई शुरू न किए जाने, गन्ने के मूल्य की घोषणा न किए जाने और किसानों को बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने के कारण हताश किसान गन्ने के खेतों को आग लगाने के लिए मजबूर है? सरकार ने न तो बकाया राशि के बारे में जवाब दिया है, न पिराई में देरी का कारण बताया है, किसी सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा गन्ना जलाए जाने की रिपोर्ट कुछ समाचारपत्रों में छपी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के संबंध में ऐसी रिपोर्टें उनके ध्यान में आई हैं और जांच करने पर यह पता चला है कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी हैं, हालांकि मेरठ जिले के दो गांवों में गन्ने को ''प्रतीकात्मक'' रूप से जलाने की घटनाएं घटी हैं।

सभापति महोदय, मेरा सवाल यह है कि देश भर में गन्ना किसानों का कितना बकाया कारखानेदारों पर है जिसकी वजह से वे इस तबाही पर आए हैं? यह ''प्रतीकात्मक'' रूप से गन्ना जलाने का क्या मतलब होता है? जब वे पूरा खेत जला देंगे, तब आप मानेंगे कि गन्ना जलाया गया? राज्य सरकार की ओर से जो भी रिपोर्ट आई है, हम चाहेंगे कि उसके संदर्भ में आप इन दोनों सवालों का जवाब दें।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, जनेश्वर जी ने कई सवाल किए हैं।

श्री सभापति: आप लोग एक-दूसरे से खूब परिचित हैं, इसलिए सवाल ही होंगे।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में जो बकाया है, वह 563 करोड़ रुपये है और 2000 के पहले का 59 करोड़ रुपये है। जब यहां शूगर के क्राइसिस पर डिबेट हुई थी तो देश भर में करीब 1,100 करोड़ रुपये किसानों के बकाया थे। इसलिए हमने बफर-स्टॉक बनाने का फैसला किया है जिसमें 778 करोड़ रुपये की सीधी राहत किसानों को मिलेगी और बफर-स्टॉक को बनाने का काम इसीलिए किया जा रहा है।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में जो समस्या थी, जिस समय यहां बहस चल रही थी, उस समय 54 मिलें खुल गई थीं, इस समय 81 मिलें खुल गई और सूबे की सरकार से हमारी इस

संबंध में बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक सूबे में सभी मिलें खुल जाएंगी। समस्या वहां जरूर है। जो शूगर इंडस्ट्री है और जो केन-ग्रोअर्स हैं, इन सबके बीच में भारी समस्या है। जब यहां बहस हुई थी, मैंने इस बात को माना था। इसलिए सरकार के हाथ में जो भी सामर्थ्य है, उससे वह इस समस्या से जूझ रही है। निश्चित तौर पर जो गन्ना जलाने की घटना है, वह अखबारों में मैंने पढ़ी थी और इस संबंध में मैंने सूबे की सरकार से बात की थी। और जहां घटनाएं हुई थी वह वैस्टर्न यू॰पी॰ का ज्यादा इलाका था। जो मेरे पास सूचना है, तीन या चार जगह गन्ना जलाने का काम हुआ था। बाकी की मेरे पास पक्की जानकारी नहीं है जैसाकि जनेश्वर जी के पास है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मामले में जो प्रयास हो सकता था, हम अपने प्रयास में लगे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, इन्होंने अपने जवाब में खुद कहा है कि केन्द्रीय सरकार किसानों के लाभ के लिए हर वर्ष गन्ने का न्यूनतम संविदिक मूल्य नियत करती है। सरकार मूल्य नियत कर देती है, बेचना किसान को होता है, खरीदना कारखानेदार को होता है। क्या सरकार अपने निर्धारित मूल्य को लागू करवाने के लिए कोई ऐसी एजेंसी रखती है जो यह देखे कि किसानों को मजबूर होकर सस्ते रेट पर दलालों के कारण या कारखानों के दबाव में तो अपना गन्ना बेचना नहीं पड़ता?

श्री शरद यादव: सभापति जी, जो भारत सरकार की तरफ से दाम तय होते हैं, इस बार 64 रुपए तय हुआ है और यह एम॰एस॰पी॰ दाम फिक्स करती है और निश्चित तौर पर जो यह दाम नहीं देता उसके मामले में हमारे पास कड़े कानून हैं वह लागू किए जाते हैं। लेकिन सवाल यहां तक नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वह ही एम॰एस॰पी॰ एनाउंस करती हैं, उसके देने में दिक्कत आई हुई है क्योंकि शुगर मिल के मालिक हाई कोर्ट में चले गए है। और वहां से उन्होंने स्टे लिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो हम एम॰एस॰पी॰ एनाउंस करते हैं उसके बारे में हमारे पास सख्त कानून हैं। लेकिन सवाल वहां एम॰एस॰पी॰ वाला नहीं है, वहां और तरह का मामला है। देश भर में अलग-अलग सूबों में जो यील्ड है और उसमें जो परसंटेज है वह वेरिएट करता है यानी महाराष्ट्र में जो शुगरकेन से शुगर निकलती है और यहां जो उत्तर प्रदेश में निकलती है, ईस्टर्न यू॰पी॰ में निकलती है उसमें अंतर है। उसके बारे में हमने फैसला करके रखा है मान लो यदि 1.1 परसेंट ज्यादा रिकवरी होती है उस पर हम .7 परसेंट अर्थात् 70 पैसे एक्स्ट्रा देते हैं। इसलिए जो एम॰एस॰पी॰ भारत सरकार रखती है उसका मामला नहीं है। लेकिन यह मामला और दूसरा है कि जो बढ़ा करके दिया जाता है उसमें दिक्कत होती है।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, this particular question refers to the general situation prevailing in the various States in the country. But the hon. Minister, while answering, has confined himself only to the U.P. I can understand the importance

of the State of UP in the whole country. But I would like to know: what is the present position in different States in the country? And, Sir, the hon. Minister has been pleased to say that the creation of a buffer stock is going to solve the problem. I would like to point out, through you, Sir, that it is not going to solve the problem, because the sugarcane farmers' problem has now assumed a gigantic proportion. Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister to the fact that India is one of the highest sugar-producing countries in the world. So, I would like to know whether the Government is thinking to set up a Special Task Force to look into this matter, and come out with wide-ranging proposals to solve the problem once and for all.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने साफ-साफ कहा है कि जो बफर स्टॉक रखा जाएगा उससे मदद मिलेगी यानी शुगर इंडस्ट्री की जो क्राइसेस है वह बड़ी है और उसके लिए मॉडर्नाइजेशन और डवलपमेंट के लिए सरकार अपने एस॰डी॰एफ॰ से पैसा दे चुकी है। आगे भी हम सोचते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कितने बनाए जाएं क्योंकि दुनियां में शूगर के मामले में हमारा सबसे बड़ा कम्पटीटर ब्राजील है और ब्राजील में 35 परसेंट के करीब डाइवर्सिफाइड पर वह चले गए हैं जबकि हमारे यहां सिर्फ शुगर पर ही निर्भर हैं। इसलिए हमने कोजेनिरेशन है, इथनॉल है इन सारी चीजों को जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं शुगर इण्डस्ट्री में, उन पर भी ज्यादा ध्यान देने का काम करेंगे और मैंने सभापति जी, इस सदन में कहा है कि इसके लिए तात्कालिक और थोड़े समय की ही नहीं लम्बे समय की नीति, दोनों बनाने की जरूरत है और इस पर सरकार गंभीर है।

श्री राजीव शुक्ल: सभापति जी, एक तरफ तो किसान गन्ना जला रहे हैं, उनको उसका भुगतान नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ मिल मालिकों की शिकायत है कि समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्ये बढ़ने से उनकी जो फाइनेंशियल वायबिनिटी है वह नहीं आ पा रही है, उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ता जा रहा है कि उन्हें घाटा हो रहा है। इसी वजह से शायद ये कोर्ट में भी गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन दोनो स्थितियों के बीच में संतुलन बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, जिससे कि चीनी मिलें भी बंद न हों और किसानों को भी नुकसान न हो?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने बात सही कही है, ठीक कही है, दुरूस्त कही है। मैं मानता हूं कि हमारे यहां कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हम एम॰एस॰पी॰ भी अनाउन्स करते हैं और खुली मार्केट भी चाहते हैं । हमारे यहां शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया है और इसका कंज्म्पशन सिर्फ पांच परसेंट बढ़ रहा है। जो शुगर इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनकी अलग शिकायत है, जो शुगरकेन ग्रोवर्स हैं, उनकी अपनी अलग शिकायतें हैं। इन सारी चीजों में बहुत तरह की दिक्कत है, उस

दिक्कत को दूर करने के लिए नीति बनी हुई है, लेकिन उसके चलते काम नहीं चल रहा है। काम इसलिए नहीं चल रहा है कि हम पहले जिस तरह के एनवायरमेंट में इंडस्ट्री चला रहे थे, उसकी परिस्थिति में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आ गया है। जो दुनिया का बाजार है उसका असर यहां पर भी पड़ने लगा है, यह असर पहले नहीं पड़ता था। हम लोग पहले पी॰डी॰एस॰ में शुगर देते थे, अब पी॰डी॰एस॰ में भी कोई शुगर उठाने के लिए तैयार नहीं है। कर्णाटक के माननीय सदस्य नहीं आए हैं, उनका इस संबंध में सवाल था और मैं उसमें बड़े विस्तार से इस बात को समझाता कि पी॰डी॰एस॰ का कहीं उठान नहीं हो रहा है। पहले शुगर पी॰डी॰एस॰ में चला जाता था। ...(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे: क्वालिटी ठीक नहीं होती है इसलिए नहीं उठाते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब आप उत्तर समाप्त करिए।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया कि इसमें एक तरह की परेशानी नहीं है, इसमें कई तरह की प्राब्लम्स हैं।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने तय की है उससे भी बहुत कम कीमत पर मिल मालिक किसानों का गन्ना 40 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद रहे हैं। क्या इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे? उत्तर प्रदेश में किसानों से 40 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना खरीदा जा रहा है।

श्री सभापति: ठीक है।

**355. [The questioner Dr. Dasari Narayana Rao was absent for answer vide page 44.]*

Satellite money orders

*336. SHRI ABANI ROY: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Satellite se money order kiya to paise uranchhoo ho gaye", as reported in the 'Nav Bharat Times', dated the 21st September, 2002;

(b) if so, whether the money orders sent through satellite are not reaching in right hands;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken by Government to streamline functioning of the Department of Posts to ensure delivery of money orders properly?